कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopith-forest-uk@nic.in; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 345 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 20 जुलाई, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 490 / FP/UK/ROAD/47308/2020 दिनांक–20.08.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/47308/2020 में इंगित कमियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र0 सं0	इंगित कमियों का विवरण	कमियों का निराकरण
1	परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची संलग्न कर प्रेषित है।
3	वैकल्पिक एवं वर्तमान संरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची संलग्न करने का कष्ट करें।	वैकल्पिक एवं वर्तमान संरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची संलग्न कर प्रेषित है।
4	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.16 (बांज वृक्ष प्रभावित होने के प्रमाण पत्र) में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति / हस्ताक्षर अपेक्षित है।	विषयक प्रकरण में बांज़ वृक्ष प्रभावित होने के प्रमाण पत्र में वन संरक्षक स्तर से संस्तुति / हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। कृपया आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.20 (राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा होने अथवा न होने के प्रमाण पत्र) में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न कर प्रेषित है।
7	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।